भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 112

दिनांक 02 **फरवरी**, 2023

तेल कंपनियों का लाभ

†112. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर**:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तेल कंपनियां दस रुपये प्रति लीटर लाभ पर पेट्रोल बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले घाटे और डीजल पर 6.5 रुपये प्रति लीटर के नुकसान की भरपाई करने के लिए पेट्रोल संबंधी खुदरा मूल्यों में कमी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अक्तूबर-दिसम्बर की अवधि के दौरान अधिकांश तेल विपणन कंपनियों को अत्यधिक घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (घ): पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार-निर्धारित हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य-निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लेती हैं।

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को नहीं बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से सितंबर के दौरान 28360 करोड़ रुपए के समेकित 'कर पूर्व लाभ' के सापेक्ष, तीन ओएमसीज अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से सितंबर के दौरान 27276 करोड़ रुपए का समेकित घाटा बुक किया है।

*****